

सीसीआरटी/11015/09/2026

14 जुलाई, 2026

सेवा में,

विषय : अनुबंध के आधार शार्ट-टर्म बेसिस पर (AC & Non AC) बस की सेवाएँ लेने हेतु निविदा।

महोदय,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। सीसीआरटी द्वारा देश के विभिन्न भागों में सेवारत शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनका शैक्षिक भ्रमण केन्द्र द्वारा करवाया जाता है। सीसीआरटी स्कूली/ छात्र/छात्राओं के लिए भी विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों/संग्रहालयों तथा कला-वीथियों के शैक्षिक भ्रमण आयोजित करता है। इसी संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अधिकारिक कारणों हेतु केन्द्र में बसों की निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। यदि आप बस सेवाएँ देने के लिए इच्छुक हैं, तो संलग्न निविदा फार्म भरकर मोहरबंद निविदा सीसीआरटी को भेजें। लिफाफे के बाहरी आवरण पर "अनुबंध के आधार पर बस किराए में देने हेतु निविदा" अवश्य लिखा होना चाहिए।

निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 05/08/2026 सायं 03.00 बजे तक है। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,



(आशुतोष)

उपनिदेशक (सा.प्रशा.)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
प्लॉट नं.15 ए, सेक्टर-7, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **05/08/2026** - अपराह्न 03.00 बजे।

2. निविदा खोलने की तिथि **05/08/2026** - अपराह्न 03.30 बजे।

(I) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। सीसीआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए अल्पावधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अध्यापकों के लिए दिल्ली शहर में स्मारकों/संग्रहालयों/प्राकृतिक उद्यानों आदि का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। सीसीआरटी शार्ट-टर्म बेसिस पर बस (52/36) सीट उपलब्ध करवाने हेतु DST/TIN No. पेन कार्ड/आधार कार्ड रखने वाली प्रतिष्ठित एजेंसियों से निविदाएं/दरें आमंत्रित करता है।

(II) निविदा में वर्णित दरें मूलतः एक वर्ष के लिए वैध मानी जाएंगी। इस अवधि को आपसी सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

(III) निविदा का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	अवधि	घंटे	किलो मीटर	Rate AC BUS		Rate NON-AC BUS	
				36 Seater	52 Seater	36 Seater	52 Seater
1.	आधे दिन ड्यूटी लोकल	05.00 घंटे	40 किलोमीटर				
2.	पूरे दिन ड्यूटी लोकल	10.00 घंटे	80 किलोमीटर				
3.	पूरे दिन ड्यूटी लोकल	12.00 घंटे	120 किलोमीटर				
4.	पूरे दिन ड्यूटी लोकल	12.00 घंटे	168 किलोमीटर				
5.	दिल्ली से बाहर	10.00 घंटे	200 किलोमीटर				
6.	दिल्ली से बाहर	12.00 घंटे	400 किलोमीटर				
7.	दिल्ली से बाहर	12.00 घंटे	800 किलोमीटर				
8.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर						
9.	अतिरिक्त प्रति घंटा						

उपरोक्त के अनुसार एजेंसियों द्वारा भरा जाने वाले दरें कर सहित मान्य होगा।

समय और दूरी कि गणना सीसीआरटी, कार्यालय से वापस कार्यालय तक के आधार पर की जाएगी।

(IV) सेवा शर्तें निम्न होंगी :

- 1) बसें अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा वाहन का मॉडल वर्ष, 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मापदंडों के आधार पर वैध होनी चाहिए।
- 2) ड्राइवर/कंडेक्टर का व्यवहार सीसीआरटी स्टॉफ और प्रतिभागियों के प्रति सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए तथा ड्राइवर ट्रैफिक के मापदण्डों की संपूर्ण जानकारी वाला होना चाहिए। यदि चालक अथवा कंडेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस ट्रिप का किरया 50% तक काटा जा सकता है। यद्यपि इसका सत्यापन कम से कम पांच पैसेन्जर्स से किया जाएगा।
- 3) प्रत्येक कार्यक्रम में बिलों का भुगतान, बिल प्राप्ति के पश्चात किया जाएगा। बिल भुगतान हेतु बस एजेंसी को सेवा प्रदान किए जाने से अगले माह कि 10 तारीख तक बिल, सीसीआरटी, नई दिल्ली में भुगतान प्रतिपूर्ति हेतु देना होगा, अन्यथा बिल भुगतान में देरी के लिए सीसीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।
- 4) बस एजेंसी को शार्ट-टर्म के आधार पर सीसीआरटी द्वारा मांगे जाने पर एक या एक से अधिक बसों कि उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। बस/बसों कि मांग फोन पर अथवा ई-मेल के माध्यम से यथा सम्भव शीघ्रतिशीघ्र (01 से 02 घंटा या इससे पहले) सूचित की जाएगी।

:: 2 ::

- 5) फर्म द्वारा इस क्षेत्र में पिछले अनुभव का ब्यौरा (Completion/Experience Certificate) दिया जाना चाहिए और पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन संस्थानों को बस कि संतोषजनक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थीं उन संस्थानों के विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम व पते आदि दशयिे जाने चाहिए।
- 6) निविदा जिस व्यवस्था एवं प्रारूप में मांगी गई है, संपूर्ण रूप से ब्यौरेवार भर कर भेजी गई निविदाओं को ही मान्यता दी जाएगी। ब्यौरे/प्रारूप में कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए अन्यथा ऐसी निविदाएँ अपूर्ण घोषित की जा सकती हैं एवं ऐसी निविदाओं को रद्द मानकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7) बसें अपने निर्धारित प्रस्थान समय से ठीक 30 मिनट पहले सीसीआरटी परिसर या रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित स्थान में पहुंच जानी चाहिए। सीसीआरटी को यह अधिकार होगा कि बस के असामान्य रूप से लेट आने की स्थिति में रु. 250/- प्रति घंटा की दर से विलम्ब के लिए क्षेतिपूर्ति (L.D.) कि कटौती की जा सकती है एवं बस एजेंसी के रिस्क एण्ड कास्ट पर दूसरी बस को किराये पर लेकर ड्यूटी कराई जा सकती है।
- 8) सरकारी नियमानुसार टी.डी.एस. व जी.एस.टी. कि वसुली भी स्रोत स्वरूप मासिक बिल से काटकर सरकारी लेखा में जमा की जाएगी।
- 9) फर्म को अपने प्रस्ताव में यह प्रमाणित करना चाहिए कि निविदा अनुसूची में दी गई सेवा-शर्तों का (Unconditional Acceptance Certificate) अनुपालन करेंगे। सभी पार्किंग शुल्क फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 10) यदि किसी बस को दिल्ली या दिल्ली से बाहर भेजा जाता है तो उस स्थिति में रोड टैक्स/पैसेन्जर टैक्स/एससीडी टैक्स/टोल टैक्स आदि के खर्च एवं पार्किंग चार्ज का भुगतान बस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 11) चयनित ट्रांसपोर्टर द्वारा "EARNEST MONEY Account CCRT" New Delhi, के नाम से देय रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि ब्याज मुक्त होगी और असंतोषजनक सेवा कि स्थिति में सीसीआरटी, नई दिल्ली द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- 12) निदेशक को संबोधित, धरोहर राशि के रूप में रु. 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) डिमांड ड्राफ्ट, जो कि "EARNEST MONEY Account CCRT" के नाम पर देय होगा, के साथ समय पर पहुंच जानी चाहिए (यह राशि Refundable होगी)।
- 13) स्वीकृत सेवा-शर्तों के आधार पर बसें उपलब्ध करने के लिए फर्म को रु. 100/- मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सीसीआरटी के साथ एक करार (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस राशि का वहन फर्म द्वारा किया जाएगा।
- 14) निदेशक, सीसीआरटी के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। सीसीआरटी के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
- 15) यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ असंतोषजनक पाई गई तो निदेशक, सीसीआरटी को स्व-विवेक से अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है।
- 16) ट्रांसपोर्टर के पास अपने नाम कि कम से कम चार बसें अवश्य होनी चाहिए तथा उनके मूल कागजात भी कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। निविदा के साथ इन कागजात की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 17) तय एवं मान्य दरें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तक प्रभावी होंगी और किसी भी कारण अथवा इंधन कि कीमतों में बढ़ोतरी पर भी स्वीकृत दरें बढ़ाई नहीं जाएंगी।
- 18) यदि किसी यात्रा के मध्य बस खराब हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अवरोध उत्पन्न होने पर निविदा कर्ता को तुरन्त अपने खर्च पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यदि बस एजेंसी वैकल्पिक व्यवस्था एक घंटे के अन्दर भी नहीं कर पाती है तो उससे क्षतिपूर्ति कि कटौती की जाएगी। बस स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार कि अवहेलना करने पर, कोई दुर्घटना हो जाने पर, बस के दस्तावेजों में कमी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से वैधानिक कार्यवाही होने पर सीसीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।

:: 3 ::

- 19) बस एजेन्सी को भारतीय ट्रांसपोर्ट अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों का पूर्णतया: पालन करना होगा।
- 20) बस का माइलोमीटर (किलोमीटर रीडिंग मीटर) सही होना चाहिए एवं सीलड होना चाहिए। सीसीआरटी द्वारा रिजेक्ट की गई बस/बसों का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
- 21) किसी प्रकार के विवाद को आपस में वार्ता करके 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर सुलझा लिया जाएगा। यदि वार्ता असफल रहती है तो फर्म/एजेन्सी कि सीसीआरटी द्वारा मनोनीत सोल आर्बीट्रेटर के पास अपना दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। इस करार से संबंधित समस्त विवादों कि सीमा दिल्ली तक ही सीमित रहेगी।

S/D

(आशुतोष)

उपनिदेशक (सा.प्रशा.)

हस्ताक्षर

एजेन्सी का नाम व पता :
.....